

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जशपुर जिला - जशपुर

प्रकरण क्रमांक: 202502031200011/अ-62 (वृक्ष कटाई हेतु अनुमति)

आवेदक: महामंत्री, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर नगर (छ.ग.) पिता/पति/विभाग-, पता-ग्राम-जशपुर नगर तहसील व जिला-जशपुर (छ.ग.) विरुद्ध अनावेदक : छत्तीसगढ़ शासन पिता/पति/विभाग-, पता-

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो पक्षो/वकीलो / प्रस्तुतकार लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर
06/02/2025	आवेदक महामंत्री, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर नगर के द्वारा तहसील जशपुर पं० ह० नं० 07 में उनके स्वामित्व की भूमि पर स्थित भूमि खसरा नं० 271/4 रकबा 0.354 हेक्टेयर में स्थित साग प्रजाति का 02 नग, शमी प्रजाति का 01 नग, गम्हार प्रजाति का 01 नग तथा शीशम प्रजाति का 01 नग कुल 05 वृक्षों के विदोहन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वन परिक्षेत्राधिकारी जशपुर एवं राजस्व निरीक्षक जशपुर से प्रारूप "घ" में निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदक के स्वामित्व की ग्राम जशपुर, प.ह.नं. 07 स्थित भूमि खसरा नं० 271/4 रकबा 0.354 हेक्टेयर स्थित है। आवेदक एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल जांच किया गया। जिस पर शमी प्रजाति के 01 वृक्ष, गम्हार प्रजाति का 01 वृक्ष, सागौन प्रजाति का 01 वृक्ष, शीशम प्रजाति का 01 वृक्ष तथा नीम प्रजाति का 01 वृक्ष इस प्रकार कुल 05 वृक्ष हरे-भरे हैं, जो संस्था के टंकी निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदन में आवेदित वृक्ष के कटाई से किसी प्रकार की आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षति नहीं होना संभावित है। अतः राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 4-34/सात-1/2021 दिनांक 11 फरवरी 2022 के नियम 8 रोपित वृक्षों की कटाई के तहत ग्राम जशपुर, तहसील व जिला जशपुर छ.ग. में भूमि खसरा नं० 271/4 रकबा 0.354 हेक्टेयर जो आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है, पर स्थित शमी प्रजाति के 01 वृक्ष, गम्हार प्रजाति का 01 वृक्ष, सागौन प्रजाति का 01 वृक्ष, शीशम प्रजाति का 01 वृक्ष तथा नीम प्रजाति का 01 वृक्ष इस प्रकार कुल 05 वृक्षों को काटे जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है- 1. अनुषंसित वृक्ष की कटाई के पूर्व एवं कटाई पश्चात आवेदक द्वारा राजस्व अभिलेखों में वृक्ष का पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा। 2. छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए अनुषंसित वृक्ष की कटाई की जावेगी। 3. भूमिस्वामी/आवेदिका की लिखित इच्छा पर वन विभाग द्वारा अनुषंसित वृक्ष को काटा जा सकेगा। 4. वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा किये जाने पर प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दी जावेगी। 5. यह आदेश एक कैलेण्डर वर्ष तक मान्य होगा। - पृथक से अनुमति आदेश जारी हो, पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावे।- प्रकरण आदेशार्थ सुनवाई दिनांक: 06/02/2025 (ONKAR YADAV) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर (छत्तीसगढ़)	

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

email id : - sdmjashpur@gmail.com

office no :- 07763-223730

// अनुमति //

क्रमांक / 1392 / वाचक-1 / 2025

जशपुर, दिनांक 06/02/2025

आवेदक महामंत्री, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर नगर के द्वारा तहसील जशपुर प.ह.नं. 07 में उनके स्वामित्व की भूमि पर स्थित भूमि खसरा नं. 271/4 रकबा 0.354 हेक्टेयर में स्थित साग प्रजाति का 02 नग, शमी प्रजाति का 01 नग, गम्हार प्रजाति का 01 नग तथा शीशम प्रजाति का 01 नग कुल 05 वृक्षों के विदोहन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वन परिक्षेत्राधिकारी जशपुर एवं राजस्व निरीक्षक जशपुर से प्रारूप "घ" में निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदक के स्वामित्व की ग्राम जशपुर, प.ह.नं. 07 स्थित भूमि खसरा नं. 271/4 रकबा 0.354 हेक्टेयर स्थित है। आवेदक एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल जांच किया गया। जिस पर शमी प्रजाति के 01 वृक्ष, गम्हार प्रजाति का 01 वृक्ष, सागौन प्रजाति का 01 वृक्ष, शीशम प्रजाति का 01 वृक्ष तथा नीम प्रजाति का 01 वृक्ष इस प्रकार कुल 05 वृक्ष हरे-भरे हैं, जो संस्था के टंकी निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदन में आवेदित वृक्ष के कटाई से किसी प्रकार की आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षति नहीं होना संभावित है।

अतः राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 4-34/सात-1/2021 दिनांक 11 फरवरी 2022 के नियम 8 रोपित वृक्षों की कटाई के तहत ग्राम जशपुर, तहसील व जिला जशपुर छ.ग. में भूमि खसरा नं. 271/4 रकबा 0.354 हेक्टेयर जो आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है, पर स्थित शमी प्रजाति के 01 वृक्ष, गम्हार प्रजाति का 01 वृक्ष, सागौन प्रजाति का 01 वृक्ष, शीशम प्रजाति का 01 वृक्ष तथा नीम प्रजाति का 01 वृक्ष इस प्रकार कुल 05 वृक्षों को काटे जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है-

1. अनुशंसित वृक्ष की कटाई के पूर्व एवं कटाई पश्चात आवेदक द्वारा राजस्व अभिलेखों में वृक्ष का पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।
2. छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए अनुशंसित वृक्ष की कटाई की जावेगी।
3. भूमिस्वामी/आवेदिका की लिखित इच्छा पर वन विभाग द्वारा अनुशंसित वृक्ष को काटा जा सकेगा।
4. वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा किये जाने पर प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दी जावेगी।
5. यह आदेश एक कैलेंडर वर्ष तक मान्य होगा।

पृ.क्र. / 1392/4 वाचक-2 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय जशपुर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी महोदय, जिला जशपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।
3. तहसीलदार जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री, छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. जशपुर को सूचनार्थ।
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद जशपुरनगर को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जशपुर (छत्तीसगढ़)
जशपुर, दिनांक 06/2/2025

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जशपुर (छत्तीसगढ़)